MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this Council is of opinion that a Commission be appointed to examine the present administrative set up and procedure of work in the Government of India and to suggest suitable changes for ensuring expeditious disposal of the work."

The motion was negatived.

RESOLUTION *RE* PROGRESSIVE USE OF HINDI FOR THE OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION

PROF. N. R. MALKANI (Nominated):

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी (नामनिर्देशित) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं :

"This Council is of opinion that with a view to implementing the provisions of article 343 of the Constitution Government should take adequate steps to authorise the progressive use of the Hindi language in addition to English language for official purposes of the Union."

इस प्रस्ताव को परिषद् के सामने पेश करने में मुझे खुशी भी हो रही है क्योंकि मैं सिन्धी हूं, मेरी मातृभाषा सिन्धी है, न कि हिन्दी । मैं इस प्रस्ताव द्वारा यह चाहता हूं कि इस देश के अन्दर हिन्दी की प्रगति जोरों के साथ हो। यह प्रस्ताव जो मैंने पेश किया है, कुछ समझाने के वास्ते है, जैसा कि आप जानते है कि हमारे विधान का १७वें भाग में राजभाषा हिन्दी के बारे में जो दिया है, उसका जो पहला खण्ड है उसमें यह दिया हुआ है "The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script."

इस के पीछे दिया गया है कि १५ साल के अन्दर नियमानुसार पांच, पांच साल के बाद एक कमीशन होगा । उसमें यह दिया हुआ है "It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to the progressive use of the Hindi Language for the official purposes of the Union."

अब हमें यह देखना होगा कि यह "प्रोग्रैसिव यूस" हो रहा है या नहीं । विधान को लागू हुए चार साल व्यतीत हो गये हैं, पांचवां साल होने वाला है । अब हमें यह सोचना होगा कि इन पांच सालों के अन्दर हिन्दी की कितनी प्रगति हुई है । इसके साथ ही साथ यह भी सोचना होगा कि आयन्दा पांच सालों में कितनी प्रगति होगी। इसी अनुच्छेद के अन्त में एक महत्व की बात यह भी लिखी हुई है "In making their recommendations under clause (2), the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services."

अगर आप लोग इन तीन बातों पर ध्यान रक्खेंगे, तो मेरे प्रस्ताव के महत्व को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे । अंग्रेज़ी जो पहले हमारे देश की राजभाषा थी उस के तीन गुण थे । एक गुण यह था कि वह राजभाषा थी, मगर अब हम उसके बदले में यह चाहते हैं कि हिन्दी राजभाषा हो । इसके साथ ही साथ अंग्रेज़ी का व्यवहार

[Prof. N. R. Malkani.]

शिक्षा के लिये, नालेज (knowledge) के वास्ते, विद्या ग्रहण करने के वास्ते रहेगा। अब हम यह चाहते हैं कि शिक्षा की भाषा अंग्रेजी न होगी, माध्यम भी अंग्रेजी न होगा, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं कि हिन्दी होगी, प्रान्तीय भाषा होगी, मगर अंग्रेजी नहीं होगी।

तीसरा गुण जो अंग्रेजी भाषा का है, वह यह है कि सांस्कृतिक, कल्चरल डैवलैपमेंट (cultural development) के वास्ते अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था। आप लोगों के मन में यह शंका है कि भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए पहले तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया ही जाता था, पर क्या अब भी उसका प्रयोग किया जाता रहेगा।

अब मैं एक एक करके कुछ बातें राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में कहूंगा। पहले हमको यह देखना है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने के मार्ग में हमने कितनी प्रगति की है। राजभाषा हिन्दी के साथ ही साथ हमको प्रान्तीय भाषाओं की प्रगति भी देखनी होगी और यह भी देखना होगा कि जिन प्रान्तों में राजभाषा हिन्दी नहीं है, उनमें इस ओर कितनी प्रगति हुई है। इसके साथ ही साथ केन्द्रीय सचिवालय में भी कितनी प्रगति हुई है, यह भी देखना है। यह दो चीजें मैं आपके सामने रक्खूंगा।

मैं मानता हूं कि सेंटर (Centre) में या कहीं भी हिन्दी की प्रगति उस वक्त तक नहीं हो सकती, जब तक कि हम चार पांच बातों को अपने सामने साफ तौर से न रखें। वह साफ नहीं रहेंगी तो हिन्दी की प्रगति नहीं हो सकती। जबकि वे बातें साफ रहेंगी तभी वह खास मकसद पर पहुंचेगी वर्ना नहीं।

एक बात तो यह है कि हमको देखना चाहिये कि जो प्रान्तीय भाषायें हैं, प्रादेशिक भाषायें हैं, रीजनल (regional) भाषायें हैं, उनके और हिन्दी के बीच में क्या मुकाबिला है, दोनों के क्या क्या स्थान हैं और केन्द्र हैं। बात यह है कि जो गुजरात में, तामिलनाड में या आंध्र में रहने वाले लोग हैं जो हमारे वहां के भाई हैं वे सोचते हैं कि अगर हिन्दी की प्रगति होगी तो हम कहां रहेंगे, कहीं उसकी प्रगति का मतलब यह न हो कि हम हट जायें। जैसे कि पहले था कि अंग्रेजी ही चारों तरफ चलती थी इस वजह से प्रादेशिक भाषायें पीछे पड़ गई थीं, कहीं वही बात फिर न हो, कि हिन्दी बढ़े और हमारी प्रान्तीय भाषायें न बढ़ें। तो हमें साफ साफ कहना चाहिये कि प्रान्तों में, प्रदेशों में जो भी वहां की मातृभाषा होगी, उसी में सब काम होगा। प्रान्त के और प्रदेश के हर एक काम के लिये वही भाषा रहेगी। साफ कहना चाहिये कि तामिलनाड में तामिल चलेगी, आंध्र में तेलगू चलेगी। शिक्षा के लिये या किसी भी काम के लिये वहां की भाषा ही चलेगी। ऐसा साफ साफ कह देना चाहिये। मेरा ख्याल है कि ऐसा कहने से उनको शांति मिलेगी और उनको आश्वासन हो जायेगा कि हमारा यह दायरा है, हमारा यह चक्कर है, जिसके अन्दर हमको अपना काम करना है।

दूसरी बात जोकि हमें साफ साफ कहनी है वह यह कि हिन्दी हम सारे हिन्दुस्तान के लिये चाहते हैं, किसी एक स्थान विशेष के लिये नहीं चाहते। आज हिन्दी की कई शैलियां हैं, राजस्थान की अपनी शैली है, यू० पी० की अपनी शैली है, मध्य प्रदेश में या महाकौशल में अपनी शैली है और बिहार के लिये तो मैंने सुना है कि उसकी कोई शैली ही नहीं है, और लोग यहां तक कहते हैं कि उनकी भाषा हिन्दी है ही नहीं। तो

जहां हिन्दी मातृभाषा है, प्रादेशिक भाषा है, वहां भी उसकी एक शैली नहीं है । तो फिर हमारी हिन्दी की एक प्रामाणिक शैली होनी चाहिये, एक आला दर्जे की शैली होनी चाहिये । मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि कोई यह ख्याल न करे कि हमारे सिर पर यू० पी० की छाप है या यू० पी० की मुहर है । यू० पी० तो खुद ही एक इनफीरियारिटी कम्पलेक्स (inferiority complex) में फंस गया है, एक फैनेटिसिज्म (fanaticism) में फंस गया है, । क्यों फंस गया है, वह इसलिये कि १५, २० साल पहले वहां सिर्फ उर्दू ही चलती थी, वहां सब जगह उर्दू ही उर्दू थी ।

SHRI P. C. BHANJ DEO (Orissa):

श्री पी० सी० भंजदेव (उड़ीसा) : आज भी है ।

PROF. N. R. MALKANI:

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : मैं पुरानी बात कह रहा हूं, आज की नहीं । वह १९१४ से १९२० तक की बात कह रहा हूं, जब का कि मुझे तजुर्बा है, कि वहां सब लड़के उर्दू या फारसी ही पढ़ते थे और उनके जो प्रोफेसर होते थे वे हिन्दू होते थे । मेरी खुद सिंध में सेकेंड लैंग्वेज (second language) फारसी ही थी और उसके पढ़ाने वाले हिन्दू थे । तो यू० पी० में उसका रिएक्शन (reaction) क्या हो रहा है कि हटाओ उर्दू को, निकालो उर्दू को, साफ करो उर्दू को । जिस प्रकार कि झाड़ू से सफाई होती है उसी तरह से झाड़ू से सफाई करके बाहर निकाल दो । यू० पी० ने यह नहीं सोचा कि उसकी क्या कीमत है, उस की क्या कद्र है । मेरा तो ख्याल है कि यू० पी० का भी दिमाग एक दिन ठंडा हो जायेगा, कुछ कुछ हो रहा है, और मुझे आशा है कि जल्दी ही ठंडा हो जायेगा ।

SHRI T. PANDE (Uttar Pradesh):

श्री टी० पांडे (उत्तर प्रदेश) : मेरा तो ऐसा खयाल है कि माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कम सूचना है ।

PROF. N. R. MALKANI:

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : मैं भी आपको यह सूचना दूंगा कि आप अपने घर को संभालें तो बेहतर है । आप अपने घर के झगड़े को तय करके, अपने मामले को ठीक करके तब हमारे बीच में आयें ।

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : हमारे घर में कोई भी झगड़ा नहीं है ।

PROF. N. R. MALKANI:

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : आप को इतनी भी खबर नहीं है तो फिर मैं क्या कहूं । बम्बई प्रेसीडेंसी में एक कांफ्रेंस (conference) हुई थी, उसका एक रेज़ोल्यूशन (resolution) मैंने अभी पढ़ा है । उसमें प्रचारिणी सभा के लिये कहा गया है कि वह पहले अपने घर को संभाले फिर हमारे बीच में आये, उसमें साफ कहा है कि प्रचारिणी सभा यू० पी० में रहे और हम को छोड़ दे । मैं भी एक सिंधी साहित्यकार हूं, मैंने भी सिंधी में काफी पुस्तकें लिखी है, इसलिये मुझे कहने का अधिकार है । मैं कहता हूं कि एक किस्म की हिन्दी शुरू में नहीं होने वाली है । मैं तो यह मानता हूं कि हिन्दुस्तान में पहले तीन चार किस्म की शैलियां रहेंगी । वह धीरे धीरे ४ से ३ होंगी, ३ से २ होंगी, और २ से १ होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा । मैं यह मानता हूं कि राजस्थान की अपनी ही एक शैली होने वाली है, इसी तरह से बंगाल की, आसाम की और उड़ीसा की कुछ कुछ अपनी शैली होने वाली है और दक्षिण की

[Prof. N. R. Malkani.]

बिल्कुल अपनी ही एक शैली रहेगी, इसी तरह से वृहत् गुजरात और वृहत् महाराष्ट्र की एक अपनी ही शैली होने वाली है, इसके साथ साथ जो यू० पी० और बिहार है, जो आर्यावर्त है, उसकी भी अपनी एक शैली रहेगी। फिर इनमें से धीरे धीरे छांट होगी, धीरे धीरे कमी होगी और १५ या २० साल में एक शैली हो जायेगी, लेकिन वह यू० पी० की शैली नही होगी, राजस्थान की शैली नही होगी बल्कि सब की मिली जुली शैली होगी। उसमें तामिल वाले भी कहेंगे कि मेरा भी कुछ है, तेलगू वाले भी कहेगे कि मेरा भी कुछ है, चूंकि मैं सिंधी हूं इसलिये मै भी कह सकूंगा कि मेरे भी दो चार शब्द है इसलिये मेरा भी कुछ है, तो वह एक समुद्र के समान होगी, जिसमें कि सभी नहरें और चश्मे जा कर पड़ेंगे और कहेगे कि यह मेरी भी नहरों का समुद्र है, मेरे चश्मों का भी समुद्र है, यानी सब लोग कहेगे कि इस समुद्र में मेरा भी कुछ हिस्सा है। जब तक कि यह ख्याल नहीं होगा, तब तक एक प्रामाणिक शैली हिन्दी की नही होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि कोई प्रामाणिक शैली बने लेकिन वह इस बिना पर बने कि "live and let live", यानी उसमें तेलगू भी आ जाये, तामिल भी आ जाय और दूसरी भाषायें भी आ जायें। तो उसके लिये अभी से कोशिश करनी चाहिये। यह न हो कि यह फलां की शैली है बल्कि जो शैली बने वह हिन्दुस्तान भर की शैली हो।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि अभी अभी केन्द्रीय सरकार को भी कुछ कदम इस बारे मे उठाना चाहिये। वह कौन से कदम उठावे यह मैं बताता हूं। हकूमत के अन्दर, केन्द्र के अन्दर जितने मुलाजिम हैं, जितने अफसर ह, उनसे फौरन कह दें कि तुम ६ महीने के अन्दर या ३ महीने के अन्दर देवनागरी सीख लो। यह तो तीन दिन की बात है लेकिन फिर भी हम तीन महीने दे देते है और अगर उनमें अक्ल कम है तो बजाय ३ महीन के ६ महीने ले लें। मेरा तो ख्याल है कि देवनागरी लिपि आसान से आसान है और उसको कोई भी सीख सकता है। मै कहना चाहता हूं कि अभी अभी यह हुक्म होना चाहिये कि ६ महीने के अन्दर देवनागरी सीखनी पड़ेगी और उसके लिये जो इम्तिहान होगा, उसमें पास नही होगे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद यह कहें कि २ साल के बाद यह फलां इम्तिहान होगा उसको तुम्हें पास करना होगा, यानी जो कम से कम इम्तिहान है, चाहे उसे प्रारम्भिक कहे, चाहे उसे प्रवेशिका कहें, उसको पास करना होगा।

SHRI S. D. MISRA (Uttar Pradesh): What about speeches in Parliament?

PROF. N. R. MALKANI: I do not want any interruption. That has nothing to do with this.

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : तो जब वे उसमें, यानी पहली परीक्षा में, पास हो गये तब ये जो ११ साल अब हिन्दी के लिये बचे हुए है, उसमें से ढाई साल इस तरह निकल जायेगे। फिर बाकी जो बचता है उसमें चार साल तक वह और पढें और इम्तिहान पास करें। फिर तीन या साढ़े तीन साल के बाद एक प्रोफिशियेसी टेस्ट (proficiency test) हो, जिस में देखा जाय कि कितनी निपुणता और कुशलता हासिल कर ली है, कहां तक ये होशियार बने है। फिर जो बचता है उसमें उनकी फिनिशिंग (finishing) और पालिशिग (polishing) हो जाय, जैसे कि फिनिश करके और पालिश करके चीज़ बाज़ार में भेजी जाती है, उसी तरह इस अर्से में उनकी फिनिशिग और पालिशिग हो

जाय, वह जैसे कि आज अंग्रेजी मे बोलते है और काम करते है उसी तरह से तब हिन्दी मे बोलने और काम करने लग जाये ।

मै देख रहा हू कि मिनिस्टर साहब बातचीत कर रहे है और मेरी बातो को सुन नही रहे है । हमसे वह खुद पूछ रहे थे कि तुम क्या चाहते हो और अब वह सुन नही रहे है । अभी भी सुनते नही है । मुझे वह कह रहे थे कि मलकानी हमला तो नही करोगे, हमला नही करना, सजेशन (suggestion) देना । तो म हमला नही कर रहा हू, सजेशन दे रहा हू लेकिन वह सुनते ही नही है । तो मै कहना चाहता हू कि गाडगिल साहब ने एक एक करके नामालम कितने सजेशन दिये है, लेकिन आपने इस का कोई नोटिस (notice) ही नही लिया । जो प्रैक्टिकल (practical) चीज है, उस को आप करते ही नही है ।

मैंने पढा है कि बम्बई की सरकार ने यह काम कर लिया है । हम जानते है कि बम्बई राज्य की सरकार ने कान पकड के अपने मुलाजिमो को हिन्दी सिखा दी और पेश्तर हिन्दी सिखाने के उसने यह घोषणा कर दी कि जो सरकारी मुलाजिम हिन्दी मे चार इम्तिहान नही पास करेगे उन का हम प्रमोशन (promotion) नही करेगे, कफर्मेशन (confirmation) नही करेगे । लेकिन हमारे यहा सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऐसा कोई कदम नही उठाते कि अपने यहा के कर्मचारियो को इसी तरह हिन्दी सीखने के लिये लाचार करे, इसके लिये कोई आन्दोलन नही किया जाता । आखिर बम्बई मे भी भिन्न भिन्न भाषाये गुजराती, मराठी, कन्नड, हिन्दी बोलने वाले है, वहा भी वही दिक्कत पेश आ सकती थी । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो मैंने बताया है कि कम से कम पहले शुरूआत मे छ. महीने, एक साल, दो साल या तीन साल का समय तो हिन्दी सीखने के लिये अपने मुलाजिमो को आप दीजिये और उनसे कहिये कि इतने समय के अन्दर उन्हे हिन्दी सीख लेनी चाहिये ।

चौथी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि मैंने अक्सर शिकायते सुनी है कि यहा आल इडिया सर्विसेज (All India Services) के—पुलिस के, रेलवे के, पोस्ट एड टेलीग्राफ के—एग्जामिनेशस (examinations) होते है, तो उम्मीदवारो का अगरेजी मे टेस्ट (test) लिया जाता है । बेचारे कोई बिहार से, कोई बगाल से, दूर दूर से लोग परीक्षा मे बैठने के लिये आते है, इम्तिहान तो उन्हे अपने क्षेत्र की सर्विस के लिये देना पडता है, मगर टेस्ट अगरेजी मे ही लिया जाता है । उसका नतीजा यह होता है कि हम लोग अगरेजी को गोद मे ले लेते है, जेब मे ले लेते है, अगरेजी को मन मे रख लेते है, छोडते ही नही । नौकरी की जगहे १०, २०, ५० भी नही, १०० भी नही लेकिन हजारो आदमी उस के वास्ते दरखास्त भेजेगे, न मालूम किसको मिले किसको न मिले । एक बिहार से लिया जायगा, एक बगाल से, दो एक बम्बई से लिये जायेगे मगर यह सब होते हुए भी हजारो आदमी कहते है—नही, हम अगरेजी नही छोडेगे, लाखो बच्चो को उसी मे तालीम दी जायगी । दिल्ली मे परीक्षा देने आयेगे । दिल्ली क्या मक्का है, मदीना है, काशी है ? दिल्ली मे हजारो मे से एक को नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर भी वे मारे मारे भटकते फिरते है । मै इधर कुछ दिनो से सब प्रान्तो के लोगो से पूछ रहा हू तुम्हारे यहा हिन्दी के लिये क्या क्या हो रहा है । एक ने मुझे बताया कि हमने स्कूलो मे फिफ्थ क्लास (fifth class) से हिन्दी पढ़ाने का निर्णय किया तो जो हिन्दी मे परीक्षा मे बैठे वे फेल कर दिये गये । बिहार सरकार ने तो एक हुक्म

[Prof. N. R. Malkani.]

देकर फिर पांच साल के लिये अंगरेज़ी रख ली है । वास्तविकता यह है कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं वे तो यह सोचते हैं कि हम यहां जो कहते हैं उससे लीड (lead) तो नहीं करते मिसलीड (mislead) ही उनको करते हैं । नौकरी के चमत्कार को देख करके हम लोग अंगरेज़ी को गोद में लिये हुए हैं । तो मैं कहता हूं कि इस अंगरेज़ी के चमत्कार के बदले हमें हिन्दी का चमत्कार दो, और हिन्दी भाषा को आल इंडिया सर्विस के लिये करार दो । कम से कम यह कर दिया जाय कि जिसकी ख्वाहिश हिन्दी की हो वह हिन्दी में और जिसकी ख्वाहिश अंगरेज़ी में हो वह अंगरेज़ी में चले । यह एक प्रेक्टिकल सजेशन है कि आल इंडिया सर्विसेज़ के लिये उम्मीदवार अंगरेज़ी में भी अपना जवाब दे सकते हैं और हिन्दी में भी ।

पांचवीं बात जो आप रखें वह यह है कि कई एक किस्म के शब्दों को इकट्ठा किया जाये, जिनको कि हम समझ सकें । जैसे टेक्निकल (technical) शब्द हैं । डाक्टर कुंजरू साहब ने मुझे बताया कि उर्दू में हम उन्हें "इस्तलाही" कहते हैं । मुझे तो पता भी नहीं टेक्निकल को हिन्दी में क्या कहते हैं । टेक्निकल 'टर्म्स' भी दो तरह के होते हैं । अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, शासन, सेना, इंजीनियरिंग से सम्बन्धित शब्द और किस्म के होते हैं और स्कूल कालिजों में साइंस, टेकनौलौजी (technology), हिस्ट्री, ज्यौग्रफी, मैथमेटिक्स (mathematics) वगैरा की शब्दावली अलग होती है । तो वह भाग जिसका सम्बन्ध राष्ट्रभाषा से है, जोकि हुकूमत से सम्बन्ध रखता है, जैसे राजनीति है, अर्थ है, सेना है, कानून है, इनके हिन्दी शब्द बनाने की जवाबदेही सेंटर के ऊपर है । इनकी शब्दावली आपको जल्दी से जल्दी पैदा कर देनी चाहिये । यह काम कोई मुश्किल भी नहीं है । मैंने सुना है कि मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन (Ministry of Education) के अन्दर एक हिन्दी सेक्शन (Section) है जिस ने १५-१६ हज़ार शब्दों की एक शब्दावली बनाई है, उसमें से ५-६ हजार शब्द कमेंट (comment) के वास्ते शायद प्रकाशित भी कर दिये गये हैं । यह कहां तक सच बात है, आप जानें । वह अगर तैयार हैं तो उन्हें सामने रखें । मैंने सुना है कि निज़ाम ने अपने उसमानिया युनिवर्सिटी में कोई ७०-७५ हज़ार शब्द बुनियादी उर्दू कहिये या हिन्दुस्तानी, जो कुछ भी है, तैयार किये हैं । पांच-सात हज़ार आप उसमें से भी ले सकते हैं । उन्होंने भी उसे तैयार करने में मेहनत की है, लाखों रुपया खर्च किया, समय खर्च किया है । आपके सामने शब्दों का खजाना पड़ा हुआ है, अगर आप उसे लेना चाहें ।

आपको मालूम होगा, राजस्थान में पहले अंगरेज़ी नहीं चलती थी। आज़ादी मिलने के बाद उन पर यह अंगरेज़ी की मुसीबत लादी गई । वहां के लोग कहते हैं कि हमारे हाकिम, राजा महाराजे, अंग्रेज़ी जानते भी नहीं हैं । वे तो हिन्दी ही जानते हैं, उनमें से भी कोर्ट (court) के लोग जानते हैं । इन राजा महाराजाओं के पास ज्यादातर मुसलमान आते थे और उस जमाने में हुकूमत के पुलिस-फौज और लड़ाई के शब्द उन्होंने बना लिये थे । इसी तरह से महाराष्ट्र को ले लीजिये, गुजरात को ले लीजिये । एडमिनिस्ट्रेशन (administration) के कई शब्द आपको वहां की भाषा में मिलेंगे । इतनी शब्दावली का भंडार भरा हुआ है, इतना सारा खजाना पड़ा है, लेकिन "लड़का बग़ल में, ढिंढोरा नगर में" कहते हैं कि शब्दावली नहीं है । शब्द ऐसे

घड़े जाते हैं जो गले से नहीं उतर पाते हैं। समझ में नहीं आता कि वे खाने की चीज़ है या हज़म करने की चीज़ हैं। मुझे कुछ साहित्य का शौक है, जब मैं देखता हूं कि ऐसे शब्द बनाये जाते हैं जो मुंह से नहीं निकलते, गले से नहीं निकलते, तो मुझे उन को बनाने वालों पर अचम्भा होता है। इसलिये मेरा कहना है कि किसी लर्नेड (learned)आदमी को अगर आप शब्द रचना के लिये कुर्सी में बैठायेंगे तो उसके हाथ से तो लर्नेड चीज़ निकलेगी जिस पर सामान्य आदमी हंसेगा कि किस अक्लमन्द आदमी ने उसे बनाया। जो चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है—काफी तादाद में पड़ी है—उसे आप चाहे बिहार से ले लें, चाहे महाराष्ट्र से ले लें या निज़ाम ने जो शब्द बनाये हैं उन में से ले लें। मैं मैथमेटिक्स या साइन्स के शब्दों के बारे में नही कह रहा हूं लेकिन हुकूमत के खयाल से कह रहा हूं कि आप को इतना खजाना मिल जायगा कि बारह महीने के अन्दर आपकी शब्दावली तैयार हो जायगी। आपकी जो एकेडेमी आफ लेटर्स (Academy of Letters) बन रही है उसके सिपुर्द यह काम करें, एक कमेटी बन रही है उससे कहें कि १२ महीने के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते शब्द बना कर हमें दो जो गले से, मुंह से उतरें, जिनसे दो चार दांत टूट न जायें। यह बड़ी ज़रूरी चीज़ मैंने कही है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिये।

छठी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कल से ही हिन्दी के लिये कुछ करना चाहते हैं और हिम्मत से उसे कर सकते हैं तो आपको चाहिये कि फौज से कहें कि तुम्हारा लिखना-पढ़ना, बोलचाल जो कुछ भी होगा हिन्दी में होगा। आर्मी (army) एक संगठित चीज़ है, हुक्म मानने वाली चीज़ है। उसे आप हुक्म दे दें कि भाई तुम्हारी भाषा, राजभाषा हिन्दी है, तुम्हें सब काम उसी भाषा में करने होंगे। अभी कोरिया में भारत की जो आर्मी गई तो उन्होंने वहां यह प्रस्ताव पास कर दिया था कि हम आपस में बातचीत और लिखना-पढ़ना हिन्दी में करेंगे। बस यह चीज़ फौरन से शुरू हो गई। फौज में हर वर्ग के, हर जाति के, हर मजहब के, हर प्रान्त के लोग रहते हैं। वे संगठित रहते हैं, हुकूमत के नीचे रहते हैं। आर्मी से सिर्फ कल कह दीजिये कि तुमको यह काम करना है, वह फौरन होने लगेगा। अगर आप आर्मी के अन्दर राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने का फैसला कर लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे आर्मी वाले उसको इस पैमाने पर ले आयेंगे कि आप सब लोग खुश हो जायेंगे। मगर आपने इस सम्बन्ध में कोई कोशिश नहीं की। अगर की होती तो आप को अवश्य इस में सफलता मिलती। आप तो मन ही मनमें करने की बात सोचते है मगर प्रत्यक्ष में उसको नहीं करते।

आप भाई लोग कहेंगे कि मलकानी साहब इतनी लम्बी चौड़ी बात बोल गये। एक, दो, तीन, चार, पांच और छः सुझाव दे गये, मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे सामने यह संकट है, यह सब दुशवारियां हैं, उनको हमें दूर करना है। मसलन मैं आप से कहूं कि हमारे केन्द्रीय मंत्रालय में, जिसे सेक्रेटेरिएट (Secretariat) कहते हैं, बड़ा दफ्तर कहते हैं, मगर मैं तो उस को लाल दफ्तर कहूंगा बल्कि लाल किला ही कहना अच्छा होगा, जहां जाने में मुझे डर लगता है कि कहीं फंस न जाऊं, उस दफ्तर में अंग्रेज़ी ही चलती है, राजभाषा तो किसी के मुंह से भी नहीं निकलती। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दिल में राजभाषा के प्रति प्रेम होता तो आप उस

[Prof. N. R. Malkani.]

दफ्तर के अन्दर जितने भी बोर्ड (boards) बाहर से लटकाये जाते हैं, उनको छः महीने के अन्दर देवनागरी लिपि में तैयार करा सकते । आपको इस सम्बन्ध में इस तरह की आज्ञा हर मंत्रालय को दे देनी चाहिये थी कि वे अपने दफ्तरों के साइनबोर्ड सब देवनागरी लिपि में लिखवाया करें, यह तो पहली बात है । दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में मुझे कहनी है वह यह है कि जितने भी दफ्तरों में लैटर पेपर (letter paper) का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिये आपको हाथ का बनाया हुआ कागज इस्तेमाल करना चाहिये । अगर इस कागज में चार आना, आठ आना भी किसी को ज्यादा देना पड़ जाय तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर मुझे देना पड़ जाय तो मैं खुशी के साथ दूंगा । इसके साथ ही साथ इस लैटर पेपर में जो हम शेर की मोहर लगाते हैं, अंग्रेजी शेर की मोहर, उसकी जगह पर आप हिन्दी शेर की मोहर लगाइये । कौंसिल आफ स्टेट के लिये राज्य-परिषद् और हाउस आफ दी पीपल के लिये लोक-सभा लिखें, यह मेरा कहना है ।

तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि हम लोग जो आपस में इनविटेशन कार्ड (invitation cards) भेजते हैं, उसमें जो भाषा हम आज तक इस्तेमाल करते आये हैं, वह अंग्रेजी भाषा ही है, आज भी मुझे अभी-अभी एक इनविटेशन कार्ड मिला है वह भी अंग्रेजी भाषा में ही मिला है ।

AN HON. MEMBER:

एक माननीय सदस्य : होम मिनिस्टर साहब की ओर से मिला है ।

PROF. N. R. MALKANI:

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : उन के लिये तो मेरे दिल में बहुत इज्जत है । अगर हम इनविटेशन कार्ड हिन्दी लिपि में भेजें तो इसको समझने में किसी को भी परेशानी नहीं होगी । अगर वह किसी दूसरी भाषा में आता, तामिल में आता, तो भी हर कोई उसको आसानी से समझ सकता, खाने के मामले में हर कोई जाने की कोशिश करता है । मेरा तो यहां तक कहना है कि अगर किसी के पास ग्रीक (Greek) भाषा में भी इनविटेशन कार्ड आयेगा तो वह भी आसानी से उसको समझ सकेगा ।

(Time bell rings.)

PROF. N. R. MALKANI: Five minutes more, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:

उप-सभापति : दो मिनट हैं ।

PROF. N. R. MALKANI: Five minutes, Sir, I will sit down.

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जो भी इनविटेशन कार्ड भेजे जाते हैं, चाहे वह प्रेसीडेन्ट (President) द्वारा भेजे जाते हों, मिनिस्टरों द्वारा भेजे जाते हों या और दूसरे अफसरों द्वारा भेजे जाते हों, वे सब हिन्दी में ही होने चाहियें ।

मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने रेलवे मंत्री जी को लिखा है कि हमारे देश के अन्दर जितने भी रेलवे स्टेशनों में नामों के साइनबोर्ड हैं, उनमें दो लेंग्वेज (language) होनी चाहिय । एक तो उस जगह की प्रान्तीय भाषा में और दूसरी नागरी लिपि में । अगर वह जगह मद्रास में है तो वहां पर तामिल और दूसरी हिन्दी भाषा में नाम होने चाहियें । अगर वह जगह आन्ध्र में है तो तेलगू और नागरी

लिपि में होने चाहियें, अगर वह यू० पी० में है तो हिन्दी और उर्दू भाषा में होना चाहिये ।

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Pradesh): No, no.

PROF. N. R. MALKANI:

प्रोफेसर एन० आर० मलकानी : मैं तो "उर्दू" कहते डरता हूं, कांपता हूं, मगर फिर भी आप लोग मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए क्षमा करेंगे ।

इसी तरह से बंगाल में जितने स्टेशन हों, उनमें बंगाली और नागरी भाषा में ही नाम लिखे जाने चाहियें । स्टेशनों में जो भी साइनबोर्ड हों उनमें पहिले उस प्रान्त की भाषा होनी चाहिये फिर हिन्दी भाषा होनी चाहिये, जैसे बंगला ऊपर होनी चाहिये और हिन्दी नीचे, इसी तरह से तामिल ऊपर होनी चाहिये और हिन्दी नीचे ।

हमारे राष्ट्रपति जी ने अपना जो अभिभाषण हिन्दी में दिया उसको सुन कर मुझे और सब लोगों को खुशी हुई । अगर वह भाषण केवल हिंदी में ही होता तो और भी ज्यादा खुशी होती । अंग्रेजी तो ब्रिटिश साम्राज्य की निशानी है, उस से हमारी शान नहीं बढ़ती है, अगर हिन्दी में ही भाषण होता तो उससे हमारे देश का ज्यादा मान होता और शान बढ़ती, कम नहीं होती ।

जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारी सर्विसेज में जब भी कोई इम्तहान हो तो उसमें हिन्दी के ज्ञान का भी इम्तहान जरूरी कर देना चाहिये । आल इंडिया सर्विस के लिये हमें हिन्दी को आप्सनल (optional) कर देना चाहिये और हर सर्विस में स्क्रिप्ट एग्जामिनेशन (script examination) को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये ।

आप लोग कहेंगे कि मलकानी साहब ने इतनी बातें कह दीं मगर अगर पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी को कायम रखने के लिये यह कहा जायेगा कि "अगर" जरूरत होगी तो अंग्रेजी को भी रक्खा जायेगा । "अगर" की आड़ में १५ साल के बाद भी अंग्रेजी को चलाया जायेगा । हमारे विधान में "अगर" शब्द मौजूद है, उसी के आधार पर इस तरह के लूपहोल (loop hole) निकाल लेंगे जिससे १५ साल के बाद भी अंग्रेजी कायम हो सकेगी ।

इस सम्बन्ध में, मैं मिनिस्टर साहब से यह चाहूंगा कि वे इस "अगर" के बारे में हम लोगों को तसल्ली दे देंगे और इस बात को साफ कर देंगे कि १५ साल के बाद हिन्दी ही इस देश की राजभाषा मानी जायेगी और उसी में सारा सरकारी कामकाज होगा ।

मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मगर जो कुछ भी राजभाषा के सम्बन्ध में मैंने टूटी फूटी जबान में सुझाव दिये, जिनको आप लोगों ने स्वीकार किया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

[For English translation, *see* Appendix VII, Annexure No. 146.]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Resolution moved:

> "This Council is of opinion that with a view to implementing the provisions of article 343 of the Constitution, Government should take adequate steps to authorise the progressive use of the Hindi language in addition to the English langauge for official purposes of the Union."

The Resolution is open for discussion.

SHRI P. SUNDARAYYA (Andhra): Mr. Deputy Chairman, I am one who

[Shri P. Sundarayya.]

supports the idea behind this Resolution, namely, that Hindi should be made as early as possible the language of the Union Government. But the way in which the present Government or the champions of Hindi—in fact they are not the champions of Hindi; they are the disruptors of the Hindi language—want to proceed is not the way in which Hindi will ever be made the *lingua franca* of India. Let the enthusiasts of the Hindi language beware of this and let them understand the feeling of the general mass of the people against the way things are done.

Sir, we support Hindi to be the language of the Union Government and for all communication purposes between the different States and the Union Government and for inter-communication between the people of one State and another State because the Hindi language is understood by a large majority of our people. Out of the 36 crores of population, some 18 crores or a little more understand in one form or other the Hindi language. That is exactly the reason and since we want to keep the unity of India and strengthen it further, that could be done only if the people of India from different corners can understand each other. But I would, in this connection, have to warn the Government that the way in which they are dealing with this problem is not going to make Hindi the common language. For instance, what does the Government propose to do? I do not know who advised them on this measure, but the first thing they are doing is putting Hindi in place of English at the cost of the regional language. If they do these things, then the same opposition that every nationalist and every patriot was feeling against the English language will be directed against Hindi also and the enthusiasts of Hindi should beware of this.

Take the question in Hyderabad. There is the Osmania University. I do not know which evil genius has advised the Government of India to take it over and convert it into a Hindi University for the whole of the South. This would certainly run counter to the desire of the whole of the Andhra people or even the Kanarese people and the Maharashtrian people who demand their languages, and also the Muslim population of Hyderabad who want their mother tongue to be the medium of instruction in the colleges and universities. First provide colleges and universities in every regional area so that through the medium of the regional language higher education can be given. Only after you have been able to do that can you open Hindi universities so that those people who want to have their education through Hindi can also be benefited. Without first doing it you have thought of this. So far six or seven years have passed but in Hyderabad even in the various Intermediate colleges is the instruction given in the mother tongue of the people—Telugu or Kanarese or Maharashtrian? They are still being taught either in English or Urdu. This is not the way in which you are going to propagate the language. And I would certainly say that it is not in the Bombay way that Hindi can be made the *lingua franca* of India. Sir, in Bombay it is true the Bombay Government restricted the English language to only three or four years in the High School standard. But what is their latest *hukum*? They say from 1956—and in some cases from 1955—onwards, Hindi would be the medium of instruction in colleges.....

SHRI D. NARAYAN (Bombay): Hindi or the regional language.

SHRI P. SUNDARAYYA: I have been carefully following the discussions there. Under the guise of 'Hindi or the regional language' what the Ministry proposes to do is to force.....

प्रो० एन० आर० मलकानी : जहां तक मुझे खबर है, गुजरात युनिवर्सिटी में गुजराती है, न कि हिन्दी ।

*[PROF. N. R. MALKANI: So far as I understand, in the Gujrat University Gujrati is the medium of instruction and not Hindi.]

SHRI D. NARAYAN: They have adopted it.

SHRI P. SUNDARAYYA: I say, first introduce the mother tongue as the medium of instruction in the various colleges. Do not say 'Hindi or the regional language'. It should be only in the mother tongue. You can certainly have sections in the University courses where you can make provision for people who want to be taught in Hindi. There must be no question of any option being given to educational authorities or the State Government authorities to say either you have Hindi or regional language. Suppose the Bombay Government is stupid enough not to open educational courses in the colleges in the regional languages of the people—Maharashtriya, Kannada or Gujrati, but only arranges for Hindi courses, then certainly that is not the way to popularise Hindi. In the South, especially in Tamil Nad, there has been a lot of agitation against Hindi. Why is it that there has been a lot of agitation and how is it that a few individuals can get away with this anti-Hindi agitation? Because there are a large number of people in Tamil Nad who fear that Hindi is going to be thrust against Tamil itself. If you had taken steps to see that the people there could be taught in one or other of the major regional languages like Tamil, Telugu, Kanarese, Malayalam etc., then certainly the people there will take up Hindi as the second language but the Government is not proposing to do it.

In this connection I would also like to mention that it is not only the question of education but also the question of administration. Fifteen years is quite a long time to make Hindi the Union language but are you really proceeding in the right way? If you are really serious to replace English with the local languages in the States and with Hindi at the Centre, then why is it there is so much of hesitancy in the States to adopt the local regional languages as the medium of administration? Seven years of Congress rule have passed; the Constitution is four years old. Why is it that even now the Governments of the various States do not make the regional languages as the language of administration? If you do not introduce the regional languages as the language of administration in the various States, then with what right can you ask Hindi to be made the Union language? If without making the languages of the States as the languages of administration there if you try to introduce Hindi, then the feeling that you are trying to thrust Hindi at the cost of the regional languages will be there and that charge will be levelled against you. And if you want the regional languages to be adopted as the languages of administration, you can do so only if provinces are carved out on a linguistic basis. But the Government is shilly-shallying with the problem, appointing Commissions after Commissions without coming forward with a clear-cut decision on the questions which they have been facing for the last 30 years and more. If you really want Hindi to be the language of the whole of India, let me tell you, you must remove all these fears and the best way to remove all these fears is to form at the earliest opportunity linguistic provinces and have the regional language as the medium of instruction and as the medium of administration. Then only without any suspicion the people will take to Hindi as the langauge for inter-communication between different States and between the Governments of different States.

Sir, in this connection I would like to warn the enthusiasts of Hindi that the language which they are trying to create is not Hindi. It is not understood by the common people. If they are trying to impose some kind of a new language upon the people, then the claim for that kind of Hindi

*English translation.

[Shri P. Sundarayya.]

will be resisted even by the ordinary masses in the normally-Hindi-speaking areas. Sir, so many words which were in common use are being replaced. It was in 1930 when I was imprisoned by the British imperialists and was kept in solitary confinement, because we fought against jail restrictions; it was during those two or three months of solitary confinement that I learnt both Hindi and Urdu. Since then I have been working among the people where Hindi is not a common language. At that time I was able to read Premchand's novels both in Hindi and Urdu. Now in U. P. also, till recently, till the Congress Government achieved full power, the school text books were written in both the languages. So, Sir, proceeding that way you are unnecessarily creating a language which is not understood by the mass of people, and you are unnecessarily raising a controversy between Hindi and Urdu. Why is it that Hindi enthusiasts do not take the common words, the words that are in common use? Why do they want to coin new and fantastic terms which nobody can ever understand?

(*Time bell rings.*)

Why not adopt even the scientific and international terms? You cannot do without them when all our educated people have been educated in a particular scientific terminology. You want to create a new scientific terminology which nobody can understand. And if that is the way you want to proceed, then let me assure you, Sir, that you may have to struggle not for fifteen years but for fifty years, and even then you would not be able to succeed. If the Government adopts these measures and if the so-called Hindi enthusiasts give up their fanaticism and if they really understand the problem in the sense in which it has to be understood, then, Sir, it will not be long when all the people, to whichever Party they belong, will certainly make Hindi as the language of the Union administration, and as the language of the different States for their inter-communication.

SHRI T. PANDE:

श्री टी० पांडे : उप-सभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रोफेसर मलकानी ने इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष उपस्थित किया । लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें किन्हीं बातों मे कुछ भ्रम है, या शायद उनको कुछ कम सूचनायें मिली हैं ।

हिन्दी एक विशाल भाषा है । उसकी विभिन्न शैलियां हैं । उसमें उर्दू भी उसकी एक शैली है, यह निर्विवाद है । इसी तरह से आपने बतलाया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की हिन्दी बोली जाती है । हिन्दी, जो एक विशाल भाषा है, उसकी भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, उर्दू—और भी अनेक शैलियां हैं । इस प्रकार से अनेक शैलियों को साथ में लेकर यह हिन्दी भाषा अपना भंडार भरती है ।

मेरा निवेदन यह है कि हम हिन्दी प्रान्त के रहने वाले हैं । हमारी यह कभी अभिलाषा नहीं है कि इस भाषा के आधार पर इस देश में हम कोई ऐसा साम्राज्य स्थापित करें जिसमें कि दूसरों को हम न्यून समझें और अपने को उच्च समझें । श्री सुन्दरैय्या का ऐसा जो भ्रम है उस के लिये मेरी उन से कर-बद्ध प्रार्थना है कि उस भ्रम को दूर कर दें । इस तरह की हमारी कतई अभिलाषा नहीं है । हम यह चाहते हैं कि इस देश की जो राजभाषा हिन्दी हो उसको सभी लोग आसानी से समझ सकें, बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें । मुझे यह नहीं मालूम कि हिन्दी के समर्थन में इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसी भाषा को चलाना चाहता है जिसे वह न समझे । जहां तक मैं जानता हूं, जिस भाषा को मैं बोल रहा हूं, श्री सुन्दरैय्या साहब उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं । राज्यों के

लिये उनकी जो प्रान्तीय भाषायें हैं वे प्रचलित हो, इस सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं, कांग्रेस भी स्वीकार करती है और हिन्दी के प्रेमी भी स्वीकार करते हैं, चाहे वे किसी भी दल के समर्थक हो । मैं सुन्दरैय्या साहब को यह सूचित करना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, भोपाल, मध्य भारत, मध्य प्रदेश,— और भी इस प्रकार के विभिन्न प्रदेश हैं— जहा पर उन की प्रादेशिक भाषाओ मे शासन का काम चलता है और इस दिशा मे प्रगति हुई है ।

अब मैं इस केन्द्रीय शासन से, और खास तौर से शिक्षा विभाग से, यह निवेदन करना चाहता हू कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है, शिक्षा विभाग मे जब तक आमूल परिवर्तन नही होगा तब तक हिन्दी को जो उचित स्थान मिलना है वह कदापि नही प्राप्त होगा । एक विश्व कोष की रचना के लिये हिन्दी विभाग निश्चय करता है । शिक्षा विभाग को कुछ मिलता नही है, न हिन्दी को कोई सस्था मिलती है और न कोई हिन्दी का विद्वान् मिलता है । उसे सिर्फ जामिया मिलिया मिलती है जिसने अलग से हिन्दी का कोष बनाया है । मुझे मालूम नही वह कोष कैसे तैयार होगा ? मुझे एक पडित जी मिले । उन्होने मुझे बताया कि वह कोष ऐसा महान् कोष होगा जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अमर पुरुषो के नाम अकित रहेगे । मैने उनसे पूछा राम, कृष्ण, बुद्ध, शकराचार्य आदि के सम्बन्ध मे उसमे कितनी पक्तिया रहेगी ? फिर मैने पूछा, अरब, मिश्र, सीरिया, लेबनान के महापुरुषो के बारे मे उसमे कितने शब्द है और उन महापुरुषो के सम्बन्ध में भारत की जनता को कितनी जानकारी है ? उन्होने बतलाया कि उनके बारे मे भी उतने ही शब्द है जितने कि राम, कृष्ण, बुद्ध और शंकराचार्य के सम्बन्ध मे है । मुझे बडा आश्चर्य और ग्लानि हुई और दुःख अनुभव हुआ कि शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रहा है और सरकार हमको किस तरफ ले जाना चाहती है । मुझे शिक्षा विभाग की हिन्दी के सम्बन्ध मे काम करने की नीति से बडा विरोध है । मेरा आपसे निवेदन है कि हिन्दी भाषा सर्वप्रिय हो, सर्वग्राह्य हो, उस का रूप वैज्ञानिक हो, आधुनिक समय के अनुकूल हो, इसके लिये उपाय किये जाये । इसके सम्बन्ध मे सच पूछा जाय तो केन्द्रीय सरकार का ही प्रधान कर्त्तव्य है ।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध मे कुछ भाइयो को शिकायत है । शिकायत उचित नही है, अज्ञानतावश हम ऐसा करते है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश के शासन ने जब इस बात को देखा, वहा के पडितो ने इस बात को समझा, वहा के विद्वानो ने इस बात का निरीक्षण किया कि केन्द्रीय शासन तो कुछ करने वाला नही है देवनागरी लिपि के सम्बन्ध मे जिसमे कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है चाहे वह कितनी ही पुरातन लिपि है, तो उसने तमाम राज्यो की सरकारो के बडे बड़े विद्वानो, शिक्षा मंत्रियो, अध्यापको और देश के गण्यमान्य पुरुषो का एक सम्मेलन आयोजित करके उन्हे निमत्रित किया । यह सम्मेलन पिछले साल लखनऊ मे हुआ था और उस मे नागरी लिपि के सुधार के सम्बन्ध में कुछ खोजपूर्ण और तथ्य-पूर्ण बाते प्रकट हुई है । मुझे बडा आश्चर्य तो उस समय हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश की लोक ~~सेवक~~ के प्रतिनिधि जो हमारे शासन मे शिक्षा-विभाग के सचिव है, वे उस सम्मेलन मे

[Shri T. Pande.]

पधार भी नहीं सके। पता नहीं उनकी क्या रुचि और अभिलाषा है, लेकिन मुझे इस बात से दुःख हुआ कि शिक्षा-सचिव दिल्ली से लखनऊ पधार नहीं सके यद्यपि वे हमारे ही प्रदेश के प्रतिनिधि इस सभा में है। इस से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसा वायुमण्डल शिक्षा सचिवालय का बना हुआ है कि हिन्दी की प्रगति में बडी बाधा पड रही है। इसलिये मैं यह शिकायत आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं काशी विद्यापीठ का विद्यार्थी रहा हूं। वहां देवनागरी लिपि में भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा दी जाती है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव, बाबू सम्पूर्णानन्द, डा० भगवान दास प्रभृति हमारे अध्यापक रहे है। मुझे अत्यन्त दुःख होता है जब मैं इस बात को देखता हूं कि केन्द्रीय सरकार को उस सस्था को मदद करने की जो रुचि होनी चाहिये उसका पूर्णतया अभाव है। इसका कारण क्या है ?

दूसरी बात मैं उर्दू के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हिन्दी जगत् और विद्वान् जगत् अगर अध्ययन-पूर्वक देखेगा और विचार करेगा तो वह हिन्दी को उर्दू की एक शैली मानेगा। उर्दू उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज (regional language) नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हिन्दी आज व्यवहृत होती है उसे खड़ी बोली कहते है। वह हमारे मेरठ के समीप के हिस्सों को छोड़ करके कही की मातृ-भाषा नहीं है। मेरी-मातृ भाषा भोजपुरी है। ब्रज में ब्रज भाषा, अवध में अवधी, पहाड़ी इलाकों मे पहाड़ी भाषा बोली जाती है। लेकिन हम सभी खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार करते है, उसका व्यवहार करते है, उसको लिखते और पढ़ते है। इस प्रकार मुझे यह स्वीकार नहीं है कि उर्दू किसी खास एरिया (area) की रीजनल लैंग्वेज है, और न मैं यह जानता हूं। जैसा कि मलकानी साहब ने कहा, मैं यह मानता हूं कि वह भक्ति का युग था, मध्य युग था जब मुगलों का शासन था और हमारी मातृभाषा हिन्दी थी। लेकिन उसका तिरस्कार करके उर्दू भाषा को फारसी लिपि में हमारे ऊपर लाद दिया गया। उसके बाद जब अंग्रेज आये तो अंग्रेजी भाषा आई और उसकी लिपि का चलन हुआ। लेकिन जनता की भाषा हिन्दी ही रही, जनता की भाषा ब्रज या अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली ही रही। ये संस्कृत-युक्त भाषायें है। ये ही भाषायें आगे चल कर हमारे प्रान्त की राजभाषा का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। हमने इस सम्बन्ध में महान संघर्ष किये हैं, हमने अंग्रेजों के शासन से भी संघर्ष किये हैं, और इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनता की भाषा को सर्वथा विजय प्राप्त हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संसद्, शासन और कुछ महान् पंडित और विद्वान् ही किसी भाषा का निर्माण नहीं कर सकते हैं, भाषाओं का निर्माण जनता करती है और जनता और लोगों की जो भाषा है उसे ही विद्वान् लोग स्वीकार करते हैं, तभी वह जीवित रह सकती है, तभी वह आगे बढ़ सकती है। यहां पर आपसे मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जिस ढंग से काम चल रहा है उससे मुझे बड़ी निराशा होती है। आज मैं साहित्य ऐकेडेमी के सभी स्थल पर मौजूद था। मुझे इस बात को देख कर बडा आश्चर्य हुआ कि अंग्रेजी भाषा को वहां स्थान देने की चर्चा चलाई गई थी। मुझे नहीं मालूम इस देश का क्या भविष्य होने वाला है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि लोग क्या चाहते है, लोगों के हृदय में देश के प्रति, जनता के प्रति, भाषा के प्रति कैसे

भाव हैं। वहां महात्मा जी की, रवीन्द्र बाबू की चर्चा की गई। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, रवीन्द्र बाबू ने जिस साहित्य का सृजन किया उस मातृभाषा का नाम लेना अप्रासंगिक था। रवीन्द्र बाबू बंगला भाषा में रचना करते थे, और जब उनकी रचनाओं का अनुवाद अंगरेजी भाषा में हुआ तभी उनका नाम प्रसिद्ध हुआ और लोक में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, उनको सबसे बड़ी पारितोषिक नोबेल प्राईज़ (Nobel Prize) प्राप्त हुआ, पर केवल पारितोषिक पाने के लिये साहित्य सृजन नहीं किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सूरदास, तुलसीदास आदि महाकवियों को किसी ने पारितोषिक नहीं दिया, किसी राज्य का आश्रय उन्हें प्राप्त नहीं था।

[For English translation, *see* Appendix VII, Annexure No. 147.]

श्री उप-सभापति : अच्छा आप का भाषण दूसरी बैठक में पूरा हो जायगा।

*[MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can conclude your speech in the next meeting.]

The House stands adjourned till 2 P.M. on Monday.

The Council then adjourned till two of the clock on Monday, the 15th March 1954.

---

*English translation.